बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
।। संकल्प ।।

विषयः— रक्सौल नगर परिषद में इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण नमामि गंगे के तहत 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से अनुमानित लागत व्यय कुल 66,12,46,950.00 रू0 (छियासठ करोड़ बारह लाख छियालिस हजार नौ सौ पचास रूपये मात्र) जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि रू० 63,17,00,000/—(तिरेसठ करोड़ सत्रह लाख रूपये मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार के ओर से देय सेंटेज की राशि कुल रू० 2,95,46,950/—रूपये (दो करोड़ पंचानबे लाख छियालिस हजार नौ सौ पचास रू0 मात्र) के व्यय की स्वीकृति।

रक्सौल नगर परिषद् क्षेत्र के अर्न्तगत सभी घरों/प्रतिष्ठानों से आने वाले सिवेज को ट्रीटमेंट उपरांत प्रवाह किया जाना है, ताकि गंगा नदी की सहायक बूढ़ी गंडक नदी में होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। भूमि की उपलब्धता के आधार पर इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डी०पी०आर० तैयार कर एन०एम०सी०जी० भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया था। एन०एम०सी०जी० के पत्रांक Pr-23014/3/2022-O/o Project Development, दिनांक—23.01.2024 द्वारा कुल लागत व्यय रू० 63,17,00,000/—(तिरेसठ करोड़ सत्रह लाख रूपये मात्र) पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बुडको को कार्यकारी एजेंसी नामित किया गया है, जिसे सेंटेज की रूप में रू० 2,95,46,950/—रूपये (दो करोड़ पंचानवे लाख छियालिस हजार नौ सौ पचास रूपये मात्र) देय है। रक्सौल इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना रक्सौल नगर परिषद में प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत रू0 66,12,46,950.00/— (छियासठ करोड़ बारह लाख छियालिस हजार नौ सौ पचास रूपये मात्र) सेंटेज सहित है। योजना का क्रियान्वयन एन०एम०सी०जी० से स्वीकृति शर्तों के अधीन किया जायेगा। उक्त परियोजना के मुख्य घटक निम्नवत् हैं:—

क्र.सं.	मुख्य घटक	संख्या/मात्रा
1	02 अद्द सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास (क्षमता एस0टी0पी0(01)–05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी(02)–07 एम0एल0डी0)	12 एम0एल0डी0
2	सिवेज पंपिंग स्टेशन (03 अद्द)	सिवेज पंपिंग स्टेशन(01) – 2.36 एम0एल0डी0 सिवेज पंपिंग स्टेशन(02) – 2.36 एम0एल0डी0 सिवेज पंपिंग स्टेशन(03) – 7.08 एम0एल0डी0
3	इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन ड्रेन	685 मीटर
4	राईजिंग मेन	400 मीटर
5	इफ्लूयेंट चैनल	55 मीटर
6	संचालन एवं रख–रखाव	15 वर्ष

2. रक्सौल जिला का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो सिरसिया नदी के किनारे अवस्थित है। रक्सौल नगर परिषद में कुल 25 वार्ड हैं, जिसकी आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 55536 है। सिरसिया नदी बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। आज यह शहर काफी तेजी से विकास कर रहा है। गंगा नदी लगभग 445 कि0मी0 की लम्बाई में बिहार से गुजरती है। सिरसिया नदी आगे जाकर बूढ़ी गंडक नदी में मिल जाती है एवं बूढ़ी गंडक आगे जाकर गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी या इसकी सहायक नदियों के किनारे अवस्थित किसी शहर के अनट्रीटेड सिवेज को गंगा नदी/सहायक नदियों में प्रवाहित नहीं किये जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रक्सौल नगर परिषद क्षेत्र में इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना है। यह निर्माण वर्ष 2055 तक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। इस परियोजना के माध्यम से लगभग सभी घरों को लाभ मिलेगा। रक्सौल शहर के सभी आवासीय तथा अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाले सिवेज को इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन के जरिये सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाया जायेगा। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सिवेज को शोधित कर कृषि एवं अन्य कार्य हेतु उपयोग किया जाएगा। रक्सौल शहर में दो सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट (क्षमता एस0टी0पी०(1)–05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी(2)–07 एम0एल0डी0), जिसकी कुल क्षमता 12 एम0एल0डी0 है, तीन सिवेज

पम्पिंग स्टेशन, 685 मीटर आई0 एण्ड डी0 ड्रेन, 400 मीटर राईजिंग मेन, 55 मीटर एफ्लूयेंट चैनल का निर्माण किया जाना है। इस योजना को कुल 24 महीनों में पूरा किया जाना है। सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं आई0 एण्ड डी0 कार्य के सफल अधिष्ठापन के उपरांत संवेदक द्वारा अगले 15 वर्षो तक इसका रख–रखाव किया जाना है।

3. यह योजना नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से संपोषित है। वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–एम–4–26/2013/653/वि0 पटना, दिनांक–25.01.2016 के अनुरूप सेंटेज की राशि कुल रू० 2,95,46,950/–रूपये (दो करोड़ पंचानवे लाख छियालिस हजार नौ सौ पचास रूपये मात्र) का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। योजना में कुल राशि रू० 66,12,46,950/– रूपये (छियासठ करोड़ बारह लाख छियालिस हजार नौ सौ पचास रूपये मात्र) का व्यय संभावित है। राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नलिखित है:–

(राशि रूपये में)

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	योजना की राशि केन्द्रांश (100%)	सेन्टेज राशि (राज्यांश)	वित्तीय वर्ष में कुल राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	2025-2026	15,00,00,000.00	85,00,000.00	15,85,00,000.00
2	2026-2027	17,96,30,000.00	77,62,100.00	18,73,92,100.00
3	2027-2028	2,01,38,000.00	8,85,656.67	2,10,23,656.67
4	2028-2029	2,01,38,000.00	8,85,656.67	2,10,23,656.67
5	2029-2030	2,01,38,000.00	8,85,656.67	2,10,23,656.67
6	2030-2031	2,01,38,000.00	8,85,656.67	2,10,23,656.67
7	2031-2032	2,01,38,000.00	8,85,656.67	2,10,23,656.67
8	2032-2033	2,01,38,000.00	8,85,656.67	2,10,23,656.67
9	2033-2034	2,01,38,000.00	8,85,656.67	2,10,23,656.67
10	2034-2035	2,01,38,000.00	8,85,656.67	2,10,23,656.67
11	2035-2036	2,01,38,000.00	8,85,656.67	2,10,23,656.67
12	2036-2037	2,01,38,000.00	8,85,656.67	2,10,23,656.67
13	2037-2038	2,01,38,000.00	8,85,656.67	2,10,23,656.67
14	2038-2039	2,01,38,000.00	8,85,656.67	2,10,23,656.67
15	2039-2040	2,01,38,000.00	8,85,656.67	2,10,23,656.67
16	2040-2041	2,01,38,000.00	8,85,656.67	2,10,23,656.67
17	2041-2042	2,01,38,000.00	8,85,656.67	2,10,23,656.67
कुल राशि		**63,17,00,000.00**	**2,95,46,950.00**	**66,12,46,950.00**

इस परियोजना का ऑपरेशन एण्ड मेंटेनेन्स 15 वर्ष तक संवेदक द्वारा ही किया जाना है। तत्पश्चात् परियोजना के ऑपरेशन एण्ड मेंटेनेन्स का व्यय राज्य सरकार/नगर परिषद, रक्सौल द्वारा वहन किया जायेगा।

4. योजना पूर्ण होने से शहर से निकलने वाले सिवेज को शोधित किया जा सकेगा। योजना का कार्यान्वयन बिहार सरकार के उपक्रम बुडको द्वारा किया जाना है। बुडको के व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार से प्राप्त सेंटेज की राशि से की जाती है। बुडको को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रबंधन समिति (बिहार स्टेट गंगा रिभर कंजरवेशन प्रोग्राम मैनेजमेंट सोसायटी), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। राशि व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रबंधन समिति (बी0जी0सी0एम0एस0) को बुडको द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

5. यह योजना नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से संपोषित है। वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–एम–4–26/2013/653/वि0 पटना, दिनांक–25.01.2016 के अनुरूप सेंटेज की राशि कुल रू० 2,95,46,950/–रूपये (दो करोड़ पंचानवे लाख छियालिस हजार नौ सौ पचास रूपये मात्र) का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। योजना में कुल राशि रू० 66,12,46,950/– रूपये (छियासठ करोड़ बारह लाख छियालिस हजार नौ सौ पचास रूपये मात्र) का व्यय संभावित है। राशि का व्यय निम्न बजट शीर्षों से किया जा सकता है:–

(i) मांग सं0–48 मुख्य शीर्ष – 2215 –जलापूर्ति तथा सफाई – उप मुख्य शीर्ष–02–मल–जल तथा सफाई–लघु शीर्ष–106–वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण – उप शीर्ष–0302–राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र कोड – 48–2215021060302

विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान, 0302.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण, PFMS Code-9152 के अंतर्गत की जायेगी।

(ii) मांग सं0–48 मुख्य शीर्ष – 2215 –जलापूर्ति तथा सफाई – उप मुख्य शीर्ष–02–मल–जल तथा सफाई–लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्र उप योजना– उप शीर्ष–0305–राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र कोड–48–2215027960305 विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान, 0305.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण, PFMS Code-9152 के अंतर्गत की जायेगी।

(iii) मांग सं0–48 मुख्य शीर्ष – 2215 –जलापूर्ति तथा सफाई – उप मुख्य शीर्ष–02–मल–जल तथा सफाई–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– उप शीर्ष–0303–राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र कोड–48–2215027890303 विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान, 0303.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण, PFMS Code-9152 के अंतर्गत की जायेगी।

6. अतः उक्त के आलोक में रक्सौल नगर परिषद में इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण नमामि गंगे के तहत 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से अनुमानित लागत व्यय कुल 66,12,46,950.00 रू0 (छियासठ करोड़ बारह लाख छियालिस हजार नौ सौ पचास रूपये मात्र) जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि रू० 63,17,00,000/–(तिरेसठ करोड़ सत्रह लाख रूपये मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार के ओर से देय सेंटेज की राशि कुल रू० 2,95,46,950/–रूपये (दो करोड़ पंचानबे लाख छियालिस हजार नौ सौ पचास रू0 मात्र) के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

7. उपर्युक्त कंडिका–06 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 10.01.2025 की बैठक में मद सं0–07 में स्वीकृति दी गई है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ भेजी जाय।

ज्ञापांक–03/नमामि गंगे–02–15/2024 513 **/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–**14/01/25

प्रतिलिपिः– मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/25

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–03/नमामि गंगे–02–15/2024 513 **/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–**14/01/25

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/25

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–03/नमामि गंगे–02–15/2024 513 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–14/01/25

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के सचिव / सरकार के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी/ प्रबंध निदेशक, बुडको/ नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/ कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं पंचायत/सभी मुख्य अभियंता, सभी अधीक्षण अभियंता एवं सभी कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/25

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–03/नमामि गंगे–02–15/2024 513 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–14/01/25

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/25

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–03/नमामि गंगे–02–15/2024 513 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–14/01/25

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु इसकी 500 प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

13/1/25

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–03/नमामि गंगे–02–15/2024 513 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–14/01/25

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव–सह–निदेशक, बुडा/महानिदेशक, NMCG, भारत सरकार/टीम लीडर, SPMG, Patna/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई० मेल करने हेतु प्रेषित।

13/1/25

सरकार के सचिव।